


19/9/22 पत्रावली पेश की वकील याथी डाय. ही
 वकील का 915 09 25 का ही के खाते
 किया जा चुका है इसलिए क्रम त.1.
 या. पत्र का कोई औपचारिक शेष नहीं
 रह जाता है इसलिए त.1 या. पत्र
 खारिज किया जाता है पत्रावली
 के हल सुमा होकर इस नमूने से
 कम हो। आदेश सुने-मानने के

मुनामा 
 उपखण्ड अधिकारी
 साँभर लेख

